न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण सं. 04/2021 प्रार्थना पत्र (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2021/88

श्रीमती हरगा बाई उर्फ श्रंगारी बाई पत्नी स्व. देवीलाल डांगी निवासीः कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत कानपुर जरिये सचिव कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. श्री शंकर लाल डांगी पिता देवीलाल डांगी निवासीः कानपुर, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. श्री जमनालाल पिता मांगीलाल डांगी निवासीः जुनावास, तहसील–मावली, उदयपुर

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता

निर्णय

दिनांकः– 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया किय ग्राम पंचायत कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की निगरानीकर्ता स्थाई निवासी होकर अपने पति के समय से उक्त गांव में आबादी के मध्य स्थित अपने भूखण्ड मय मकान जो 1540 वर्गफीट को होकर उस पर करीब 35 साल पूर्व निगरानीकर्ता के पति द्वारा निर्मित मकान में परिवार सहित निवास कर रही है। निगरानीकर्ता के पति की मृत्यु करीब 30 साल पूर्व हो चुकी है। एवं उसके इसी मकान में रहते हुए अपनी लडकियो एवं लडके की शादी कराई। विपक्षी संख्या 2 जो कि प्रार्थीया का पुत्र है जिसे गांव के भूमाफियाओ ने बहला फुसलाकर वर्ष 2005 में जब विपक्षी संख्या 2 नाबालिग था, तब उक्त मकान का विपक्षी संख्या 1 के माध्यम से बापी पट्टा अकेले विपक्षी संख्या 2 के नाम दिनांक 22.08.2005 को जारी करवा दिया जबकि उक्त मकान में निगरानीकर्ता व उसकी पुत्रीयो का पैतृक सम्पत्ति होने से समान हक व हिस्सा निहित है लेकिन भूमाफियाओ द्वारा विपक्षी संख्या 2 को उसके अवयस्क आयु में बहला फुसलाकर उसके नाम बापी पट्टा जिसके क्रम संख्या 07/2005–06 दिनांक 22.08.2005 को जारी करा दिया जिसकी कन्फर्मेशन डीड भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 17.05.2006

जिला कलक्टर
उदयपुर

को जारी कर पंजीकृत कराया। विपक्षी संख्या 2 की जन्म दिनांक 23.08.1989 है। उक्त कन्फर्मेशन डीड उपरान्त भूमाफियाओ ने मिलकर उक्त मकान का विक्रय विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में करा दिया एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त मकान पर निजी वित्तिय संस्था से ऋण भी प्राप्त कर लिया, न तो निजी संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, न कोई जानकारी पूछताछ की गई यदि उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी पूछताछ की जाती तो ऋण स्वीकृत नहीं होता क्योंकि चुनोती दिये जा रहे पट्टे के मकान पर आज भी निगरानीकर्ता का स्वामित्व एवं आधिपत्य है। किसी भी सुरत में नाबालिग विपक्षी संख्या 2 के पक्ष बापी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, बापी पट्टा के प्रथम हकदार मृतक की विधवा निगरानीकर्ता है। एवं अधिपत्य भी आज दिनांक तक निगरानीकर्ता का ही है। ग्राम पंचायत कानपुर विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करते समय न तो आस पडौस से कोई पूछताछ की गई, न दस्तावेजो का सत्यपन किया गया, न आवंटी की उम्र बाबत् कोई जांच की गई, इन्हीं सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया जबकि उक्त मकान पर निगरानीकर्ता एवं उसकी पांचो लडकियो का भी बराबर हक व हिस्सा है। सरपंच एवं सचिव तथा भूमाफियाओ ने मिलिभगत कर निगरानीकर्ता के मकान का पट्टाविपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरिके से नाबालिग अवस्था में जो पट्टा जारी किया गया है वह काबिल निरस्त है। निगरानीकर्ता को सर्वप्रथम उक्त पट्टे की जानकारी अभी हाल ही में निजी फाईनेंस कम्पनी के कर्मचारी द्वारा मकान पर आकर मकान कब्जे में लेने की कार्यवाही का कहने पर हुई जिस पर निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 3 एवं अन्य अभियुक्तगणो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही बाबत् धोखाधडी कारित करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना प्रतापनगर में प्रकरण दर्ज कराया। निगरानीकर्ता आज भी उसी मकान में निवासरत है जिस बाबत् उसके राजकीय दस्तावेज आधार कार्ड, जोबकार्ड, लाईटबिल, पानी बिल भी उसी पते व मकान पर स्वयं के नाम से लगे हुए है। निगरानीकर्ता का प्रथम दृष्टया प्रकरण हो विपक्षी संख्या 2 के नाम जारी कथित पट्टा आरम्भतः अवैध एवं शुन्य है क्योंकि नाबालिग के पक्ष में बापी पट्टा जारी किये जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है तथा पैतृक सम्पत्ति का बिना विभाजन एवं हकत्याग अकेले के नाम पट्टा जारी किये जाने का कोई अधिकार विपक्षी संख्या 1 को नही होने के बावजूद कथित पट्टा जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमा विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टा दिनांक 22.08.2005 एवं कन्फर्मेशन डीड दिनांक 22.05.2006 को निरस्त फरमावें।

निगरानीकर्ता की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
उदयपुर

लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड मय मकान, जिसका क्षेत्रफल 1540 वर्ग फीट है, ग्राम पंचायत कानपुर, तहसील गिर्वा के आबादी क्षेत्र के मध्य स्थित है। उक्त मकान का निर्माण निगरानीकर्ता के स्वर्गीय पति द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व कराया गया था, जिसमें निगरानीकर्ता अपने परिवार सहित विगत 35 वर्षों से निरंतर निवास कर रही है। निगरानीकर्ता के पति की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है और निगरानीकर्ता ने इसी मकान में रहते हुए अपनी पुत्रियों व पुत्र का विवाह संपन्न कराया है। पैतृक संपत्ति होने के कारण उक्त मकान में निगरानीकर्ता एवं उसकी पुत्रियों का कानूनन समान हक, हिस्सा व स्वत्व निहित है। विपक्षी संख्या 2 (निगरानीकर्ता का पुत्र) की जन्म तिथि 23.08.1989 है। वर्ष 2005 में जब विपक्षी संख्या 2 पूर्णतः नाबालिग था, तब गांव के कथित भूमाफियाओं ने उसे बहला–फुसलाकर, तत्कालीन सरपंच व सचिव से मिलीभगत करके एक फर्जी बापी पट्टा क्रमांक 07/2005–06 दिनांक 22.08.2005 अकेले विपक्षी संख्या 2 के नाम से अवैध रूप से जारी करवा लिया। इस कथित पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में कोई विधिक रिकॉर्ड या पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात, विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.05.2006 को एक कन्फर्मेशन डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करा दिया गया। उक्त फर्जी कन्फर्मेशन डीड के आधार पर भूमाफियाओं ने मिलकर उक्त मकान का अवैध रूप से विक्रय विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में करवा दिया। विपक्षी संख्या 3 ने एक निजी वित्तीय संस्था से मिलीभगत कर उक्त मकान पर ऋण भी प्राप्त कर लिया। ऋण प्रदाता संस्था द्वारा मौके का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। यदि कोई विधिक जांच की जाती तो ऋण स्वीकृत नहीं हो सकता था, क्योंकि उक्त विवादित मकान पर आज भी निगरानीकर्ता का ही पूर्ण स्वामित्व व भौतिक आधिपत्य है। निगरानीकर्ता के स्वयं के नाम के राजकीय दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जॉब कार्ड, विद्युत एवं जल बिल आज भी इसी पते पर मौजूद हैं, जो उसके निरंतर आधिपत्य को सिद्ध करते हैं। विपक्षी संख्या 3 का इस मकान पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत को किसी नाबालिग व्यक्ति के पक्ष में एकल बापी पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मूल काबिज मृतक की विधवा होने के नाते पट्टे की प्रथम विधिक हकदार स्वयं निगरानीकर्ता थी। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा न तो आस–पड़ोस के लोगों से कोई पूछताछ की गई, न मौका मुआयना किया गया और न ही आवंटी की आयु का कोई सत्यापन किया गया। अतः यह पट्टा अधिकार–विहीन होने के कारण स्वतः ही शून्य व निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता को जब इस गंभीर धोखाधड़ी की जानकारी हुई, तब उसने विपक्षी संख्या 3 व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना प्रतापनगर में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा न तो न्यायालय में उपस्थिति

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

दर्ज कराई गई और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण प्रकरण से स्पष्ट है कि यह पट्टा केवल निगरानीकर्ता के वैध पैतृक मकान को हड़पने की नीयत से तैयार किया गया एक फर्जी दस्तावेज है। अतः विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टा दिनांक 22.08.2005 एवं कन्फर्मेशन डीड दिनांक 17.05.2006 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में पट्टे के मूल पत्रावली के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गिर्वा उदयपुर को लिखा गया। विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गिर्वा द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ( )पंसगि/जनसुनवाई/2023/734 दिनांक 19.12.2023 से न्यायालय को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत कानपुर द्वारा जारी बापी पट्टा पत्रावली संख्या 07/2005–06 संकल्प संख्या 02 श्री शंकरलाल पिता देवीलाल डांगी को 22.08.2005 को जारी पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत कानपुर से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिससे पट्टे के संबंध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

उपस्थित अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध स्थानान्तरण पत्रक, प्रगति पत्र पर विपक्षी संख्या 2 शंकरलाल की जन्मतिथि 23.08.1989 एवं आधार कार्ड पर 1989 अंकित है एवं पट्टा दिनांक 22.08.2005 को जारी किया गया है अर्थात शंकरलाल की उम्र 16 वर्ष होकर नाबालिग था अतः पट्टा जारी नही किया जा सकता था। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार 01.09.1996 से प्रार्थिया के नाम से उक्त भूखण्ड/मकान पर बिजली कनेक्शन जारी किया गया है एवं नल बिल एवं जॉब कार्ड की प्रतियां प्रार्थिया के उक्त भूखण्ड/मकान में निवासरत होना सिद्ध करती है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति गिर्वा द्वारा भी उक्त पट्टे सम्बन्धी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना बताया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की वैद्यता के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रार्थिया का उक्त भूमि पर वैध कब्जा होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया/निगराकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कानपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 07/2005–06 दिनांक 22.08.2005 निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ सरपंच ग्राम पंचायत कानपुर, विकास अधिकारी पंचायत समिति गिर्वा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर